

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1940 / 2016 / बीकानेर.

मैसर्स जैन वैरायटी स्टोर, बीकानेर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड द्वितीय, वृत्त बी, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी।

2. अपील संख्या - 1941 / 2016 / बीकानेर.

मैसर्स हुकमचन्द पूनमचन्द, नौखा, बीकानेर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त बी, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी।

3. अपील संख्या - 1942 / 2016 / बीकानेर.

मैसर्स श्री स्टील सेन्टर, नौखा, बीकानेर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त बी, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोकरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 30 / 11 / 2017

निर्णय

- अपीलार्थीगण द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त-बी, बीकानेर एवं सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त बी, बीकानेर (जिन्हें आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि की गयी है।
- इन सभी तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इन तीनों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		विलम्ब शुल्क
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1.	1940 / 13	312 / आरवेट / बीकानेर / 14-15	28.12.15	04.06.14	2012-13	5,000
2.	1941 / 13	374 / आरवेट / बीकानेर / 14-15	03.02.16	28.11.14	2012-13	20,000
3.	1942 / 13	375 / आरवेट / बीकानेर / 14-15	03.02.16	05.12.14	2012-13	18,600

4. उपरोक्त अपीलों में अलग-अलग कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के विवरण-पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने कारण वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित वेट नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, जिनको इन अपीलों में विवादित किया गया है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 21 में जो कि चार्जिंग सेक्शन है उसमें विलम्ब शुल्क को जमा कराने का दायित्व करदाता पर तब अधिरोपित किया जाता है, जबकि वह रिटर्न देरी से प्रस्तुत

लगाता.....2

कर हार्ड कॉपी विभाग में देरी से प्रस्तुत करता है। रिटर्न समय से पूर्व प्रस्तुत करने के पश्चात् हार्ड कॉपी विभाग में देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नियम नहीं है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अलग-अलग प्रकरणों में यह बताया कि ऑनलाईन रिटर्न प्रस्तुत कर विभाग में हार्ड कॉपी देरी से पेश की, इस सम्बन्ध में व्यवहारियों के पूर्ण ज्ञान के अभाव में भी विवरण-पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये थे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन को जारी रखते हुए कहा कि करदाता का विवरण-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उद्देश्य नहीं था बल्कि वह केवल प्रक्रियात्मक भूल मात्र थी ऐसी स्थिति में भी कर निर्धारण अधिकारी को यदि किसी तरह का शुल्क या शास्ति आरोपित करने का आशय था तो व्यवसायी को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था।

7. अपने कथन के संदर्भ में विद्वान अभिभाषक श्री ओ.पी.दौसाया ने कर बोर्ड के न्यायिक निर्णय मैसर्स प्रेम ऑप्टिकल कम्पनी, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त बी, बीकानेर का प्रतिपादन किया, एवं कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कानून की आज्ञा के किसी भी तरह का अधिकार शास्ति आरोपण या विलम्ब शुल्क के लिये प्रयोग में नहीं लिया जा सकता एवं शास्ति एवं विलम्ब शुल्क के मामलों में स्पष्ट प्रावधानों के अधीन ही कार्य करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा बिना किसी नोटिस एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश को अपास्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

8. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विधायिका का यह स्पष्ट मत था कि व्यवहारियों को विवरण-पत्र स्वयं द्वारा प्रस्तुत करने हैं एवं उन्हें प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर एक सुविधा प्रदान करते हुए मय फीस विवरण-पत्र देने के लिये अनुमति दी गयी है परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि विवरण-पत्र नहीं देने पर विलम्ब शुल्क आरोपणीय नहीं होगा क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार किसी भी व्यवसायी द्वारा विवरण-पत्र दिये जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जबकि विधायिका की ऐसी कोई मंशा नहीं थी बल्कि व्यवसायियों को अतिरिक्त सुविधा दी गयी है अतः अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताते हुए उसे यथावत रखे जाने का अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ का निर्णय मैसर्स राजकुमार, खेमचन्द, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ, वृत्त-ए, बीकानेर निर्णय दिनांक 18.07.2017 का प्रतिपादन किया।

9. उभयपक्ष की बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. उपरोक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह है कि वेट अधिनियम के तहत करदाताओं को त्रैमासिक एवं वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र विहित समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रकरणों में प्रश्न यह है कि समय सीमा में विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर उसे विलम्ब से प्रस्तुत करने पर एवं प्रस्तुत नहीं करने पर क्या वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधिसम्मत है अथवा नहीं एवं यह भी प्रश्न है कि क्या विलम्ब शुल्क का आरोपण बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये किया जा सकता है अथवा नहीं।

12. उक्त सभी अपीलों में इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि विलम्ब से जमा कराये गये विवरण-पत्रों पर विलम्ब शुल्क लागू होगा या नहीं ? उक्त विवाद के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम 19(2) के संशोधन से पूर्व एवं दिनांक 14.07.2014 से संशोधित प्रावधान को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है।

12. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे -

1. (2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in

case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).

13. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं -

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.

However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.

14. नियम 19(2) जो दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी हैं, में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि लिये विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड के द्वारा जेनरेटेड हस्ताक्षरयुक्त पावती विहित समयावधि (जो तत्समय में प्रचलित थी) में प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक वह मानी जायेगी जिस दिन अभिस्वीकृति की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत की जाती है। इस संबंध में पूर्व विवेचन के साथ हाल ही माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ का निर्णय मैसर्स खेतमल एण्ड कं०, धोरीमन्ना, बाड़मेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय, बाड़मेर व अन्य निर्णय दिनांक 22/02/2017 दिया गया है।

15. अपीलार्थीगण का यह मत है कि उन मामलों में भी विवरण-पत्र अदेय माने जाने चाहिये जब विलम्ब शुल्क स्वयं द्वारा जमा नहीं करवाया जाता है। व्यवहारी द्वारा पहले कर, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा उसके बाद वे रिटर्न अपलोड कर सकते हैं परन्तु राशि जमा होने के बाद अपलोड विलम्ब से होता है तो उस स्थिति में भी विलम्ब शुल्क निश्चित रूप से अवशेष रहेगा क्योंकि यह प्रक्रियात्मक सुविधा का मामला है साथ ही यह भी प्रमाणिक है कि किसी भी करदाता द्वारा कर की गणना करते समय कोई भी कर दर में अस्पष्टता या गणना में भूल होने पर भी उनके द्वारा दर्शाये गये कर को स्वीकार कर विवरण-पत्र अपलोड हो जायेंगे परन्तु उसमें किसी भी तरह की कोई कमी पाये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 24 में कर निर्धारण के समय उन सभी दायित्वों का निर्धारण किया जा सकेगा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विलम्ब शुल्क के भुगतान करने के आदेश कोई आरोपण किये जाने के आदेश नहीं हैं बल्कि व्यवसायी के दायित्वों को कर निर्धारण के समय दर्शाते हुए उसका भुगतान करने के आदेश हैं एवं विलम्ब शुल्क शास्ति की श्रेणी में नहीं होने से किसी भी तरह के नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिये जाने की अनिवार्यता है। इस तरह विलम्ब से प्रस्तुत विवरण-पत्रों पर विलम्ब शुल्क जमा कराने के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में दिया जाना पूर्णतया विधिसम्मत है एवं अपीलीय आदेशों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवरण-पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर उनमें विलम्ब शुल्क का निर्धारण किया जाना विधिसम्मत होने से वे यथावत रखे जाते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ये सभी तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

17. उपरोक्तानुसार उक्त सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

18. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य